संख्या: 8-दो(2)/XXXVI (1)/2006

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
उत्तरांचल, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : 15 मई, 2006

विषय: ओक पार्क स्थित मा० न्यायमूर्ति श्री बी0सी0 काण्डपाल के आवास कॉटेज संख्या 15-16 की रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-985/UHC/Admn.B/Consl./2005 दिनांक 13 अप्रैल, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओक पार्क स्थित मा० न्यायमूर्ति श्री बी0सी0 काण्डपाल के आवास कॉटेज संख्या 15-16 के वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु रु0 4,45,000/- आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु0 4,35,000/- (रुपये चार लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

1- उक्त कार्य को करने से पूर्व आवासीय एवं अनावासीय भवनों के वार्षिक रख-रखाव के नियमों एवं नार्मस को ध्यान में रखते हुए व्यय करना सुनिश्चित करें, व्यय वार्षिक नियम के अन्तर्गत से किसी भी दशा से अधिक्य न हो ।

2- कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

3- एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।

4- उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे ।

5- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

6- आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में आवंटित न की जाय ।

7- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय । निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

8- कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

10- धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 में ही किया जायेगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-29-अनुरक्षण" में नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-251/XXXV(1)/2006, दिनांक 12 मई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव ।

संख्या- 8दो(2)/XXXVI (1)/2006-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तरांचल, माजरा, देहरादून ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
4. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
5. वित्त अनुभाग-5/एन.आई.सी. ।
6. सम्बन्धित सहायक/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( वीरेन्द्र पाल सिंह )
अनु सचिव ।